न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 53/2020
GCMS No. : 2020/00158

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1. रामपाल पुत्र भाकरराम जाति जाट निवासी–फालका,तहसील–जैतारण, जिला–पाली।		1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू :–11/08/2020

उपस्थितः– 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण एवं पैरोकार राज।

–:: निर्णय ::– दिनाँकः– 27/07/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा सरहद मौजा फालका तहसील– जैतारण में वादी व माता हरकुड़ी के नाम की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 619 खसरा नम्बर 508 रकबा 7–10 बीघा, खसरा नम्बर 515 रकबा 6–08 बीघा, खसरा नम्बर 948 रकबा 4–05 बीघा, खसरा नम्बर 971 रकबा 6–18 बीघा कुल रकबा 25–01 बीघा आई हुई है। नकल जमाबन्दी संवत 2053 से 2056, 2057 से 2060 व 2073 से 2076 पेश है। उक्त उक्त भूमि में वादी एंव माता हरकुड़ी का जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेंनुसार काबिज होकर काश्त करते है। उक्त कृषि भूमि के अन्य खातेदारान के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं होने से वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। वादी के पिता भाकरराम की मृत्यु होने पर तत्कालिन रेवेन्यू एजेन्सी व सरंपच, ग्राम पंचायत फालका ने म्यूटेंशन संख्या 882 दिनांक 17.06.1998 को स्वीकृत करते समय भाकरराम के विधिक वारिसान पत्नि हरकुड़ी व पुत्र महपाल के नाम दर्ज किये। उसीनुसार जमाबन्दी संवत 2053 से 2056 में तथा वर्तमान जमाबन्दी 2073 से 2076 तक भाकरराम के विधिक वारिस महपाल का नाम गलत इन्द्राज चला आ रहा है। उक्त म्यूटेंशन स्वीकृत करते समय तत्कालिन रेवेन्यू एजेन्सी ने व संरपच ग्राम पंचायत फालका ने भाकरराम के पुत्र महपाल का नाम गलत व बिना किसी जाच पड़ताल के दर्ज कर दिया। जबकि भाकरराम के पुत्र का सही नाम रामपाल है जो वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, आयकर विभाग से जारी पैनकार्ड, राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड वादी का डाईविंग लाईसेन्स व स्कुल टी.सी में सही नाम रामपाल अंकित है। इसलिए म्यूटेंशन नम्बर 882 दिनांक 17.06.1998 में भाकरराम के पुत्र महपाल के स्थान पर रामपाल सशोधन किया जाना आवश्यक है। वादी को जमाबन्दी में गलत नाम महपाल की जानकारी अपने हिस्से की भूमि पर बैंक से ऋण लेने की आवश्यक होने पर दिनांक 29.07.2020 को जमाबन्दी की नकल तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला पाली

कार्यालय से प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई, तब वादी नें अपना नाम रामपाल सही संशोधन बाबत् प्रतिवादी को दिनांक 30.07.2020 को कहा, तो इनकार हुये व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने को कहा, तब वादी नें यह वाद घोषणा का (नाम संशोधन) विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया है। बिनाय वाद दिनांक 29.07.2020 को वादी नें अपने हिस्से की भूमि पर बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता होने पर जमाबन्दी की नकल प्राप्त की व दिनांक 30.07.2020 को वादी ने प्रतिवादी को अपना नाम संशोधन करने बाबत् को कहा तो इनकार होने पर बमुकाम फालका तहसील–जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान के अधिकार क्षेत्र में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा मय फर्द मौका रिपोर्ट पेश की, जो शामिल मिसल है। तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा में कथन किया कि वादपत्र क पैरा संख्या 1 स्वीकार है तथा वादपत्र के पैरा संख्या 03 के जवाब में कथन किया कि महपाल पुत्र भाकरराम के स्थान पर रामपाल पुत्र भाकरराम संशोधन किया जाना उचित है। अन्य बिन्दू कानूनी है। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्यवादी में शपथ पत्र पेश किए तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाए। अधिवक्ता वादी तथा सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी एवं सरकारी पैराकार पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. वादी रामपाल पुत्र भाकराम द्वारा हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फालका में स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 619 खसरा नम्बर 508 रकबा 7–10 बीघा, खसरा नम्बर 515 रकबा 6–08 बीघा, खसरा नम्बर 948 रकबा 4–05 बीघा, खसरा नम्बर 971 रकबा 6–18 बीघा कुल रकबा 25–01 बीघा जिसके वर्तमान भू अभिलेख में खातेदार के रूप में महपाल पुत्र भाकरराम जाट दर्ज है जो गलत इन्द्राज है, जो काबिल दुरुस्त है। वादी के पिता भाकरराम की मृत्यु होने पर तत्कालीन रेवेन्यू एजेंसी तथा सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा म्युटेशन संख्या 882 दिनांक 17.06.1998 को स्वीकृत करते समय भाकरराम के विधिक वारिसान पत्नी हरकूदी तथा पुत्र महपाल के नाम दर्ज किया गया। वादी भाकरराम का विधिक वारिसान है तथा वादी का नाम महपाल के स्थान पर सही नाम रामपाल पुत्र भाकरराम दर्ज करना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.10.07 13:44:47 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण में नायब तहसीलदार जैतारण द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं मौका फर्द प्रस्तुत की जिसके अनुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

फालका मजमें आम में जांच करने पर पाया गया कि वादी का सही नाम रामपाल ही है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड में भी वादी का नाम रामपाल पुत्र भाकरराम दर्ज है। भाकरराम के एकमात्र पुत्र का नाम रामपाल ही है। महपाल नाम का अन्य कोई पुत्र नही है। महपाल पुत्र भाकरराम नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। महपाल पुत्र भाकरराम के स्थान पर रामपाल पुत्र भाकरराम संशोधन किया जाना उचित है।

3. साक्ष्यवादी में वादी रामपाल पुत्र भाकरराम द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पर वादपत्र में उल्लेखित तथ्यो व कथनो का समर्थन किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श करवाए। प्रदर्श–1 ग्राम फालका की जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 के अंकन अनुसार वादग्रस्त आराजी में नामान्तरण संख्या 882 से खातेदार हरकुड़ी बेवा भाकरराम व महपाल पुत्र भाकरराम दर्ज किया गया। प्रदर्श–2 व प्रदर्श–4 ग्राम फालका की जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 तथा संवत् 2073 से 2076 में वादग्रस्त आराजी में महपाल पुत्र भाकरराम सहखातेदार दर्ज है। प्रदर्श–3 ग्राम फालका की नामान्तरण पंजिका के नामान्तरण संख्या 882 के अनुसार खातेदार भाकरराम पुत्र प्रतापराम कौम जाट फौत होने पर हरकुड़ी बेवा भाकरराम व महपाल पुत्र भाकरराम दर्ज किया गया। प्रदर्श–5ए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रदर्श–6ए आधार कार्ड, प्रदर्श–7ए आयकर पैन कार्ड, प्रदर्श–8ए ग्राम फालका का परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श–9ए कर्नाटक राज्य का ड्राईविंग लाईसेंस, प्रदर्श–10ए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फालका का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, प्रदर्श–11ए जनाधार कार्ड, में वादी का नाम रामपाल पुत्र भाकरराम दर्ज है।

4. इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान के दौरान मजमें आम में तैयार मौका फर्द के अनुसार वादग्रस्त आराजी के खातेदार भाकरराम पुत्र प्रतापराम के पुत्र का सही एवं वास्तविक नाम रामपाल पुत्र भाकरराम है न कि महपाल पुत्र भाकरराम। महपाल पुत्र भाकरराम नाम का कोई व्यक्ति ग्राम फालका में निवासरत नही है तथा न ही भाकरराम के महपाल नाम का कोई पुत्र है। इससे यह भी स्पष्ट है कि खातेदार भाकरराम के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण की कार्यवाही के दौरान मृतक खातेदार के वारिसान के नाम की दस्तावेजात् के आधार पर न तो जांच की गई एवं न ही सत्यापन किया गया। अतः फौतेदगी नामान्तरण संख्या 882 की कार्यवाही के दौरान मृतक खातेदार भाकरराम पुत्र प्रतापराम के वारिसान के तौर पर रामपाल का नाम दर्ज नही कर इसका गलत नाम बिना किसी आधार के महपाल दर्ज कर दिया गया, जो [illegible] विलोपन योग्य है अतः हमारे विनम्र अभिमत में वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में गलत रूप से दर्ज प्रविष्टि महपाल पुत्र भाकरराम को विलोपित करते हुए खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम रामपाल पुत्र भाकरराम दर्ज करते हुए शेष प्रविष्टियो को यथावत रखते हुए रामपाल पुत्र भाकरराम को खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

अभिधारी घोषित किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा फालका पटवार हल्का फालका तहसील–जैतारण जिला–पाली के खाता संख्या 619 खसरा नम्बर 508 रकबा 7–10 बीघा, खसरा नम्बर 515 रकबा 6–08 बीघा, खसरा नम्बर 948 रकबा 4–05 बीघा, खसरा नम्बर 971 रकबा 6–18 बीघा कुल रकबा 25–01 बीघा, में बतौर खातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ''महपाल पुत्र भाकरराम'' को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि **''रामपाल पुत्र भाकरराम''** दर्ज करते हुये शेष प्रविष्टियां यथावत रखते हुए रामपाल पुत्र भाकरराम कौम जाट को उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार अभिधारी घोषित करते हुए इसी कदर वादपत्र डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस आदेश का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 27/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला–पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 53/2020

GCMS No. : 2020/00158

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1. रामपाल पुत्र भाकरराम जाति जाट निवासी–फालका,तहसील–जैतारण, जिला–पाली।		1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :– रा0वा0 स0: 53/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुदई व श्री सरकारी पैरोकार राज, तहसीलदार जैतारण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा फालका पटवार हल्का फालका तहसील–जैतारण जिला–पाली के खाता संख्या 619 खसरा नम्बर 508 रकबा 7–10 बीघा, खसरा नम्बर 515 रकबा 6–08 बीघा, खसरा नम्बर 948 रकबा 4–05 बीघा, खसरा नम्बर 971 रकबा 6–18 बीघा कुल रकबा 25–01 बीघा, में बतौर खातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ''महपाल पुत्र भाकरराम'' को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि **''रामपाल पुत्र भाकरराम''** दर्ज करते हुये शेष प्रविष्टियां यथावत रखते हुए रामपाल पुत्र भाकरराम कौम जाट को उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार अभिधारी घोषित करते हुए इसी कदर वादपत्र डिक्री किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.... ..फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27/07/2022 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:47 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील		
महनताना वकील	02	00	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर	/		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	04	00	मिजानः–	Nil	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।